17/D

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 17/12 तारीख रजू– 01/06/12

1– कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 29 राज विहार कॉलोनी दशहरा मैदान सवाई माधोपुर।
2– मोहम्मद फरीद पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी मलारना डूगंर तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर ———प्रार्थी

बनाम

1– धनश्याम शर्मा पुत्र स्व0 देवीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बहतेड हाल निवासी शीतला माता मन्दिर रोड ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी।
2– ग्राम पंचायत मलारना डूगंर जरिये सचिव ग्राम पंचायत मलारना डूगंर सवाई माधोपुर ————अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक– 20/12/16**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मलारना डूगरं के मिसल संख्या 176 में पारित निर्णय दिनांक 15/10/1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा जारी किये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अप्रार्थी 1 द्वारा दिनांक 31/03/99 को एक प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है। जिसमें अप्रार्थी 1 ने उक्त विवादित भू–खण्ड प्रभू जत्ती, सोन्या जत्ती पुत्र से खरिदना बताया है एवंम् उक्त भू–खण्ड का पट्टा अप्रार्थी 1 के पास नहीं होना बताकर ऋण लेने के लिए पट्टा जारी करवाने का कारण अंकित किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया है। जबकि उक्त भूखण्ड प्रार्थी का पट्टे शुदा व कब्जेशुदा भूखण्ड है एवं दिनांक 31/08/86 को प्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री प्रभूदयाल शर्मा को ग्राम पंचायत मलारना डूगंर द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में जारी किया जा चुका है। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 का पिता काबिज रहा एवम् बाद में वसीयत द्वारा प्रार्थी के भाई दिनेश कुमार शर्मा को समस्त अधिकार दे दिए गए। श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को मुख्तार आम नियुक्त किया है। उक्त वाद आराजीयात प्रार्थी के पिता की पट्टे शुदा भूमि है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी संख्या 1को ग्राम पंचायत मलारना डूगंर द्वारा जारी पट्टा निर्णय दिनांक 15/10/99 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी कतई गलत ढंग से फर्जी एवं झूठे दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत की है। उक्त वाद आरजीयात का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

18/A

पट्टा कभी प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को जारी ही नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31/08/86 को वाद आराजीयात का पट्टा जारी होना बताया है। जबकि प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संबंधित कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में है ही नहीं। प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी गलत दस्तावेजों के आधार पर पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 176 निर्णय दिनांक 15/10/99 सही जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का नोटिस जारी किया किया व ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा मोका देखा जाकर ही अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा यथावत रखा जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि दिनांक 31/03/99 को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी ने प्रभू जत्ती ,सोन्या जत्ती से कय करना बताया है। जबकि उक्त भूमि कय संबंधित कोई दस्तावेज / राजस्व अभिलेख अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। ना हि अप्रार्थी द्वारा कय संबंधित कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट हो सके की प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि कय की गई है। अधिनस्थ न्यायालय नोटिस 10/10/99 को जारी कर निर्णय पांच दिवस पश्चात् दिनांक 15/10/99 को पारित किया है। मौका रिपोर्ट पर भी दिनांक अंकित नहीं है। ना ही मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में अप्रार्थी का कब्जा है अथवा नहीं मौका रिपोर्ट में उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा कय करना बताया है। लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न ही नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना कब्जे के एवं बिना किसी बेचान/कय द्वारा अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी करना स्वतः ही सारहीन है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 176 में पारित निर्णय दिनांक 15/10/1999 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2016 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर